राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई/चि.अ./पी–1245/2025/ **दिनांक :**

प्रधानाचार्य
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
दन्त विज्ञान महाविद्यालय
जयपुर।

विषयः डॉ0 पूनम, चि.अ. (दन्त) के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत डॉ0 पुनम चिकित्सा अधिकारी दन्त ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, पे फिक्सेशन एवं वेतन दिलाने हेतु निवेदन करते हुए अवगत कराया है कि "परिवीक्षा काल राज्य सरकार के आदेश से 22.03.2016 को पूर्ण होने के बाद 23.03.2016 से वेतन श्रृंखला L–14 प्रदान की गई थी। उसकी निरन्तरता में 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर 1.04.2020 से प्रथम DACP प्रदान की जाकर L–16 वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है परन्तु आज दिनांक तक किसी भी वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण नहीं किया गया है।

अतः चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न कर लेख है कि चिकित्सक के प्रकरण में पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः ई/चि.अ./पी–1245/2025/ 09 **दिनांक :** 08/01/2025
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को पत्र की प्रति संबंधित को ई–मेल वास्ते।
3. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <dydrravisharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation : Additional Director
Date :03-01-2025 04:03:56

D.No. 15483 Dated 17/12/24
O/o PS/M&H/202

सेवामे, दिनांक 12.12.2024

प्रधानाचार्य
राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय (R.U.H.S. का संघटक कॉलेज़)
सुभाष नगर, जयपुर

विषयः– **Pay Fixation तथा Leave Salary दिलवाने बाबत्।**

महोदय,

निवेदन है कि मै डॉ. पूनम चिकित्सा अधिकारी (दन्त) आपके महाविद्यालय में राज्य सरकार के स्थानान्तरण आदेश की पालना में 21.10.2014 से पदस्थापित हूं। मेरा परिवीक्षा काल राज्य सरकार के आदेश से 22.03.2016 को पूर्ण होने के बाद 23.03.2016 से वेतन श्रृंखला L-14 प्रदान की गई थी। उसकी निरन्तरता में 6 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर 1.04.2020 से प्रथम DACP प्रदान की जाकर L-16 वेतन श्रृंखला प्रदान की गई है परन्तु आज दिनांक तक आपके कार्यालय के द्वारा किसी भी वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण नही किया गया है। जिस कारण मुझे आज भी नियत पारिश्रमिक ही प्रदान किया जा रहा है। इस कारण मैं RGHS की सुविधा मेरे वेतन के अनुसार नही ले पा रही हूं, ना ही वेतन के अनुसार सरकारी आवास की सुविधा और ना ही वेतन के अनुसार अन्य सुविधायें ले पा रही हूं, इस कारण मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है तथा भविष्य में भी होने की उम्मीद है

इसके साथ ही मेरा सेवाअभिलेख संधारण, सेवा पुस्तिका में इन्द्राज, अवकाश प्रकरण संबंधित कार्य भी नहीं किया जा रहा है। मैं पिछले 6 महिने से अस्वस्थ चल रही हूं तथा मुझे शीघ्र सर्जरी की आवश्यकता है परन्तु बहुत बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अवकाश स्वीकृत नही किया जा रहा है। राजस्थान सेवा नियम के नियम–160 के अनुसार सेवा अभिलेख/सेवा पुस्तिका विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा रखी जाती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट–1 के अनुसार किसी अधिकारी/कर्मचारी पदस्थापित स्थान पर उस कार्यालय का प्रभारी ही उसका कार्यालय अध्यक्ष होता है।

अतः आपसे निवेदन है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरी शिकायतो का निवारण किया जाये ताकि मुझे असुविधा का सामना नही करना पडे।

सधन्यवाद।

JS II
AS
17/12/24

Priyanka
18/12/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
2. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार राज.स्वा.वि.विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उपजिला चिकित्सालय तारा नगर, चूरू।

प्रार्थीयॉ
Poonam
डॉ. पूनम
चिकित्साधिकारी (दन्त)
जयपुर